न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 249 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/265)
प्रकरण संख्या – 250 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/266)
पंजीयन दिनांक– 30.07.2021
निर्णय दिनांक– 13.09.2021

1. श्रीमती कान्ता पुत्री रामचन्द्र दरोगा, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती नानी पुत्री उदा दोगा, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री नारू उर्फ नाहर सिंह पुत्र रामचन्द्र दरोगा, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री पप्पू सिंह रामचन्द्र दरोगा, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती शान्ति पुत्री रामचन्द्र दरोगा, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्रीमती रूपी पत्नि रामचन्द्र दरोगा, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री रूगनाथ पिता बख्तु दारोगा, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री भेरू पिता दल्ला सुथार, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री हीरा पिता दल्ला सुथार, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री महेन्द्र पिता कैलाश सिंह राजपुत, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री बजरंग सिंह पिता मिठुसिंह राजपुत, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री मंगल सिंह पिता मिठुसिंह राजपुत, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

7. श्री माधुलाल पिता मेघा अहीर, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
8. श्री मोहनलाल पिता मेघा अहीर, निवासी भटवाडा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
9. तहसीलदार, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
10. उप–पंजीयक, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
11. सरपंच, ग्राम पंचायत बोरदा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संजय सेन – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9, 10
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 09/2020 एवं 10/2020 निर्णय दिनांक 28.07.2021

निर्णय

दिनांक 13.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपीलें (शीर्षक वर्णित) अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के प्रकरण संख्या 09/2020 एवं 10/2020 दोनों के निर्णय दिनांक 28.07.2021 के विरूद्ध दिनांक 30.07.2021 को प्रार्थना बाबत स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इन प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि बकौल अपीलांट ग्राम भटवाडा कला में अपीलांट्स के पुरखों के समय से एवं मूल पुरूष रामबक्ष के समय से चली आ रही संपत्ति है, जिसमें कृषि भूमि एवं आबादी में रिहायशी मकान, बाडा वगैरा है। अपीलों में वर्णित सजरे के अनुसार रामबक्ष की संपति उनके मरने के बाद निहित हुई है। इनमे से प्रताप के नाम आई कृषि

भूमि प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मांगु को प्राप्त हुई। मांगु के मरने के बाद उसके एकमात्र वारिस बेवा राधा के नाम नामांतरित की गई। मांगु की पत्नि राधा की मृत्यु हो जाने से उसके पति के परिवार से प्राप्त मौरूसी संपत्ति राधा के प्रथम श्रेणी के कोई विधिक उत्तराधिकारी नही होने की वजह से द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी में निहित हो जाने से पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर और सभी की जानकारी में राधा की मृत्यु के पश्चात अपीलांट्स के नाम पूर्ण कानूनी नामांतरकरण खोला गया। नामांतरकरण के काफी समय बाद अपीलांट्स के परिवार से अजनबी व्यक्ति रूगनाथ मृतक राधा का भाई होना प्रकट कर मांगू उर्फ मांगीलाल पिता प्रताप दरोगा की तथाकथित बनावटी, फर्जी वसीयत प्रकट कर अधीनस्थ न्यायालय में मयाद बाहर अपील प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 09/2020 एवं 10/2020 निर्णय दिनांक 28.07.2021 से अपीलें अपीलांट स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपीलें पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.07.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किये हैः– ***"अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, गंगरार द्वारा फैसल नामांतरकरण संख्या 808 एवं 818 फैसल (क्रमशः) दिनांक 24.05.2018 एवं 05.08.2020 (क्रमशः) निरस्त किया जाता है आदेश दिया जाता है कि ग्राम भटवाडा कला, पटवार हल्का बोरदा, तहसील गंगरार के खाता नम्बर (निर्णय में वर्णित) हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाकर नये सिरे से नामांतरकरण निर्णित किया जावें। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपीलें पेश की गई है।

यह अपीलें दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10

की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 व 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

प्रकरणों में दिनांक 13.09.2021 को पत्रावलियां अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रतिक्षा में दिनांक 24.09.2021 की तिथि तय की गई। इसके पश्चात इसी दिनांक को प्रकरण में अपीलांट अधिवक्ता ने दिनांक 13.09.2021 को आवेदन पेश कर उपरोक्त दोनों अपीलों को समायोजित करने के आवेदन के कारण पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा लिखित अनापत्ति पेश की गई। प्रकरण में समान पक्षकार व विवाद बिन्दु समान होने के कारण इस न्यायालय के (शीर्षक वर्णित) प्रकरण संख्या 249/2021 एवं 250/2021 को समायोजित किया गया। प्रकरण में इसके साथ ही अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा 1 राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें राजीनामें के आधार पर (जो कि संलग्न होकर इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा, एवं प्रति दोनो पत्रावलियों में संलग्न रहेगी) राजीनामा में वर्णित कलम संख्या 1 क व ग के आराजी संख्या 861 व ग की आराजी संख्या 929, 930 व 931 अपीलांट के नाम ही दर्ज रेकार्ड रखने का तथा आराजी संख्या 1 (ख) खाता संख्या नया 219 पुराना 185 आराजी संख्या 1281 से 1284 कुल किता 4 रेस्पोडेंट संख्या रघुनाथ के नाम दर्ज किये जाने का समझोता/राजीनामा प्रस्तुत किया। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाने पर उनके द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किया। पत्रावलियों का रेकर्ड अवलोकन किया गया तो हम यह पाते है कि प्रकरण में पारिवारिक विवाद के दृष्टिगत प्रकरण के नातिक निस्तारण के लिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए राजीनामा के आधार पर बाद जांच नियमुानसार नामांतरण की कार्यवाही किये जाने के लिए प्रकरण तहसीलदार, गंगरार को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत होगा।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, गंगरार को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल हो तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जावें।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर